न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्री चेलाराम पुत्र श्री खेताराम, जाति- कलबी, निवासी-कोटडा, तहसील-रेवदर
2. श्री सवाराम पुत्र श्री खेताराम, जाति- कलबी, निवासी-कोटडा, तहसील-रेवदर

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, मण्डार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्री काला पुत्र श्री दरगा, जाति- कलबी, निवासी- कोटडा, तहसील- रेवदर
3. श्री जैसुंग पुत्र श्री दरगा, जाति- कलबी, निवासी- कोटडा, तहसील- रेवदर
4. श्री गोवा पुत्र श्री दरगा, जाति- कलबी, निवासी- कोटडा, तहसील- रेवदर
5. श्री जोमा पुत्र श्री खेता, जाति- कलबी, निवासी- कोटडा, तहसील- रेवदर
6. श्री रुगनाथ पुत्र श्री वगता, जाति- कलबी, निवासी- कोटडा, तहसील- रेवदर

राजस्व अपील संख्या: 23/2014

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 10 जुलाई, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा प्रकरण संख्या: 111/2014 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 09.6.2014 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे। इस अपील प्रकरण की सुनवाई के दौरान श्री दिपचंद पुत्र भुताजी, जाति- सुथार, निवासी- जेतावाडा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही ने इस अपील प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2014 को अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया। जो बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.1.2017 के अनुसार खारिज किया गया। तत्पश्चात् इस अपील प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने दिनांक 03.5.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि व विवादित भूमि के मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाने हेतु कमिश्नर नियुक्ति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद

....पेज दो पर

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 के अनुसार प्रकरण में उप तहसीलदार, मण्डार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया गया कि राजस्व कार्मिकों की टीम गठित कर ग्राम जेतावाडा के खसरा संख्या 822 से 828 की खातेदारी भूमि व खसरा संख्या 461 किस्म गै.मु. रास्ता भूमि की अपीलार्थीगण की उपस्थिति में पैमाईश/सीमाज्ञान करवाकर मौके की स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट मय नजरी नक्शें सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। जिसकी पालना में उपतहसीलदार, मण्डार के पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/127 दिनांक 12.3.2019 के द्वारा मौका पैमाईश रिपोर्ट मय नजरी नक्शें के इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को खसरा संख्या 461 कुल रकबा 0.13 बीघा में से 0.07 बीघा किस्म रास्ता राजकीय भूमि का अतिक्रमी मानने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। विवादित भूमि रास्ते की भूमि नही होकर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 की कब्जे काश्त की भूमि है। ग्राम जेतावाडा के खसरा संख्या 822 से 828 में अपीलार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आई हुई है। अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता निकाला गया है, जिससे अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि दो भागों में विभक्त हो गई। रास्ते की भूमि के दोनों तरफ अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि है। राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि को रास्ते की भूमि गलत रुप से दर्ज किया गया है। मौके पर न तो कोई रास्ता है व न ही अपीलार्थीगण ने रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण किया है, अपीलार्थीगण मौके पर अपने खातेदारी कब्जे-काश्त की भूमि पर काबिज है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, जेतावाडा द्वारा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के विरुद्ध ग्राम जेतावाडा के खसरा संख्या 461 कुल रकबा 0.13 बीघा में से 0.07 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार में प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, जेतावाडा द्वारा संवत् 2070 में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 के विरुद्ध ग्राम जेतावाडा के खसरा संख्या 461 कुल रकबा 0.13 बीघा में से 0.07 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व तारबाड करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में

....पेज तीन पर

न्यायालय अति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 की ओर से प्रथम सुनवाई दिनांक 26.5.2014 को अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार गर्ग उपस्थित हुये। तत्पश्चात् आगामी सुनवाई दिनांक 02.6.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 उपस्थित हुये एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों के संबंध में हल्का पटवारी, जेतावाडा से रिपोर्ट तलब की गई है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। हल्का पटवारी, जेतावाडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.6.2014 के अनुसार यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 के द्वारा ग्राम जेतावाडा के खसरा संख्या 461 कुल रकबा 0.13 बीघा में से 0.07 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध बेदखली मौका फर्द दिनांक 01.7.2014 के अवलोकन से यह भी तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में खसरा संख्या 461 रकबा 0.07 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता भूमि से अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 का अतिक्रमण हटाया जाकर भूमि को कब्जा सरकार प्राप्त किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा राजस्व कार्मिकों की टीम गठित कर ग्राम जेतावाडा के खसरा संख्या 822 से 828 की खातेदारी भूमि व खसरा संख्या 461 किस्म गै.मु. रास्ता भूमि का सीमाज्ञान/पैमाईश करवाकर इस न्यायालय में पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/127 दिनांक 12.3.2019 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 11.3.2019 की प्रस्तुत की गई है। उक्त मौका फर्द दिनांक 11.3.2019 में खसरा संख्या 461 कुल रकबा 0.13 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.03 बीघा भूमि पर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 का कब्जा/अतिक्रमण व रकबा 0.02 बीघा भूमि पर श्री खेतमल पुत्र भूताजी सुथार का कब्जा/अतिक्रमण होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जाता है। साथ ही, उप तहसीलदार, मण्डार को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो अपीलार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जावे। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)